

दिनांक:- 03-04-2025

विषय:-आवेदित ग्राम रामनगरिया तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 132/1 क्षेत्रफल 1005.00 व.मी. के फ्लैटस प्रयोजनार्थ आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 22.05.2024 के संदर्भ में ग्राम रामनगरिया तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 132/1 क्षेत्रफल 1005.00 व.मी. पर फ्लैट्स प्रयोजनार्थ आवासीय भवन पर स्टील्ट + 06 तल (स्टील्ट +18.0 मीटर) ऊँचाई के फ्लैट्स प्रयोजनार्थ आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये जिन्हें जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 28.02.2025 के निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ निर्माण स्वीकृति दी जाती है:-

1. यह भवन निर्माण अवधि स्वीकृति दिनांक से 7 वर्ष तक देय है।
 2. ग्राम रामनगरिया तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 132/1 क्षेत्रफल 1005.00 व.मी. के फ्लैटस प्रयोजनार्थ आवासीय भवन बीएआर 03.58 की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
 3. परियोजना में भूखण्ड के क्षेत्रफल, प्रस्तावित सकल निर्मित क्षेत्रफल (xi) (अग्निशमन मानदण्डों की सुनिश्चितता), 10.11 (पर्यावरण संरक्षण हेतु नियम), 12.3 (विद्युत आवश्यक की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेंसी के प्रावधान), विनियम संख्या 15 (निर्माण कार्य के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया), नियम संख्या 15.5 (भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण), 12.1 (पार्किंग क्षेत्र की पालना), नियम 10.11.3 (पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण), 10.11.4 (सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल), 10.11.5 (सौर ऊर्जा संयंत्र) हेतु प्रावधानों की अनुपालना की जानी होगी।
 4. भवन परिसर में आगतुकों की पार्किंग करवाई जाए तथा आगतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
 5. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावे।
 6. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
 7. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात् अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।
 8. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
 9. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त जोन-9, प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगे।
 10. भवन का उपयोग प्रारंभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
 11. विकासकर्ता द्वारा प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
 12. विकासकर्ता द्वारा भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार व्यवस्थित करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।
 13. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते हैं कि आप भवन परियोजना के पूर्ण निर्माण के उपरान्त आवासीय प्रमाण पत्र के समय अग्निशमन विभाग का स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करवाकर आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे।
 14. परियोजना यदि रेरा में पंजीकृत करने योग्य हैं तो भवन निर्माण दिनांक 2025-04-03 से 25-05-2025 तक (शूटिंग) एकट एवं रूल्स 2017 से संबंधित नियमों की पालना आपको स्वीकार करनी होगी।

Digitally signed by Varanasi

Designation : Deputy Commissioner

Date: 2025.04.03 12:55:48 PST



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

15. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
16. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
17. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
18. यह भवन निर्माण स्वीकृति स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।
19. आवेदक द्वारा प्रस्तुत डीजीपीएस सर्वे अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड के साईट कॉर्डिनेट्स निम्नानुसार है :-

Mark	Latitude	Longitude	msl
A	26°49'8.92"N	75°51'40.82"E	368.42
B	26°49'9.87"N	75°51'41.05"E	368.42
C	26°49'08.70"N	75°51'42.01"E	368.42
D	26°49'09.61"N	75°51'42.25"E	368.42
E	Average mean sea level	418.42 मीटर	368.42 मीटर

20. सीसीजेडएम के अनुसार साईट ऐलिवेशन 368.42 मीटर है तथा Top Elevation 418.42 मीटर अंकित है। सीसीजेडएम के अनुसार 50.00 मीटर उंचाई अनुज्ञेय है एवं 0.75 (प्लिन्थ)+4.2 (स्टिफ्ट)+18मीटर (6 तल)+6मीटर (मुमटी/मशीन रूम) तक कुल 28.95 मीटर उंचाई प्रस्तावित है।

संलग्न:-अनुमोदित भवन मानचित्र शीट संख्या 01 से 04

उपायुक्त जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

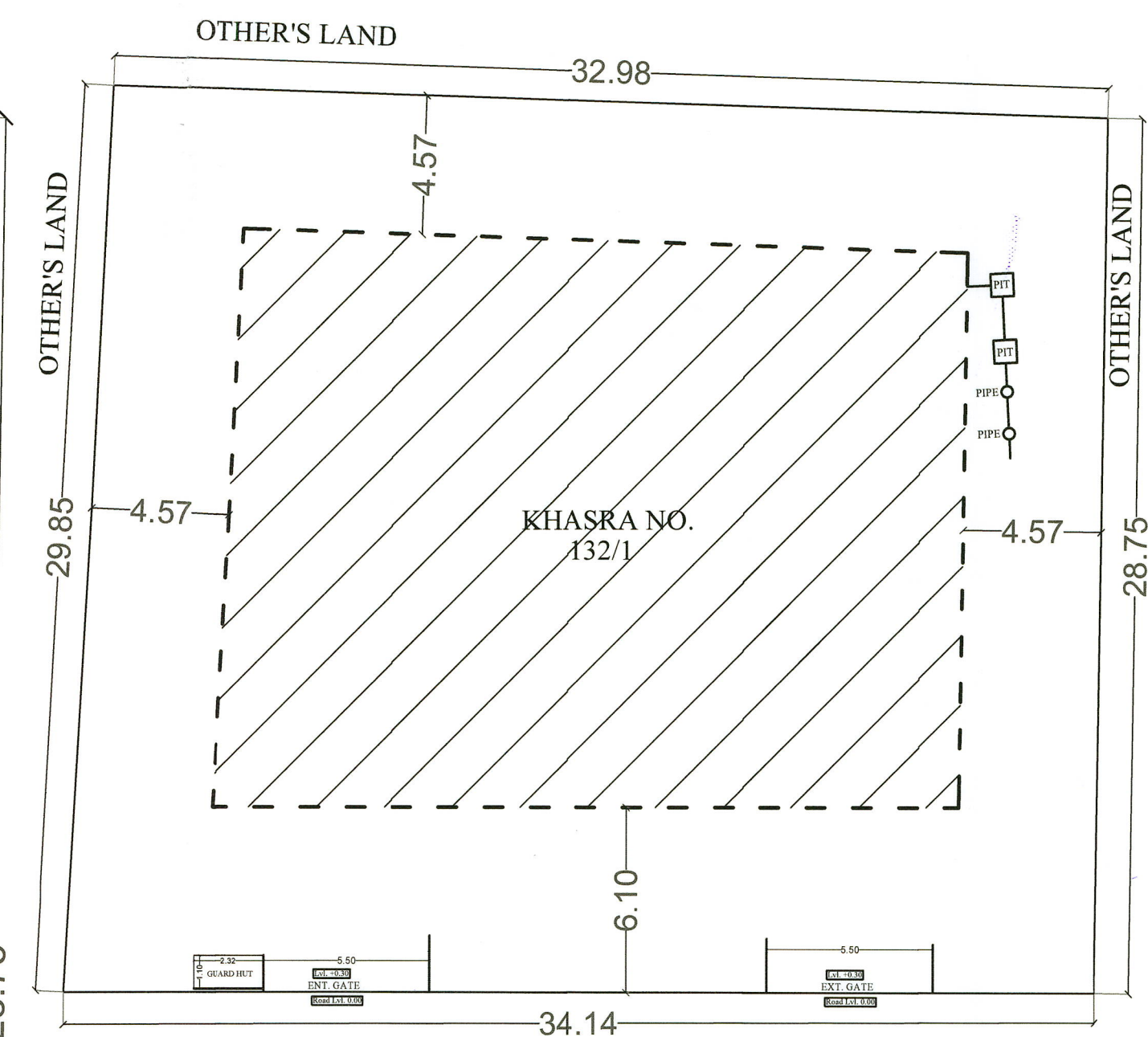
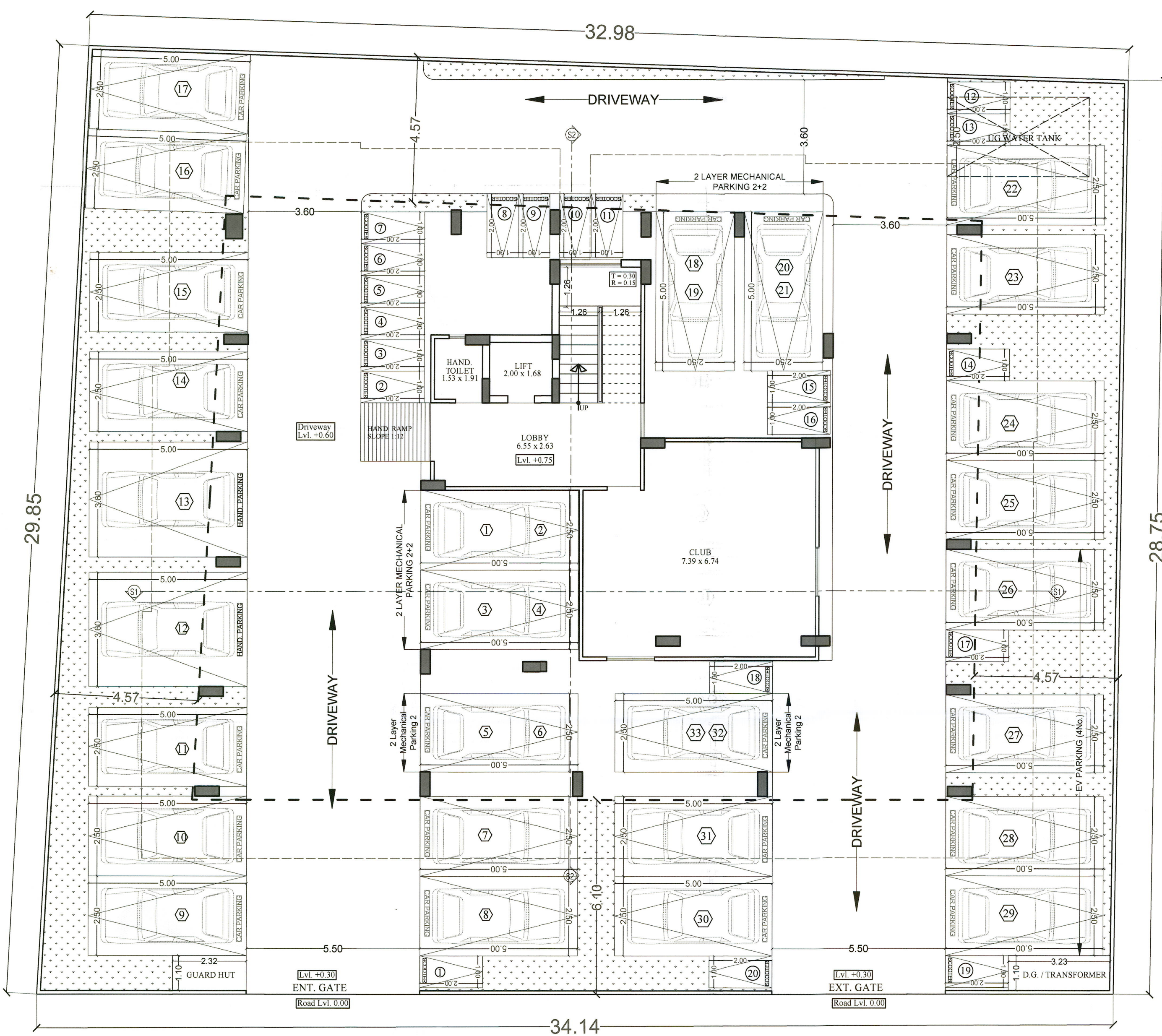
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (4 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. रजिस्ट्रार, Rajasthan Real Estate Regulatory Authority, 2nd & 3rd Floor, RSIC Building, Udyog Bhavan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. प्रबंध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हसनपुरा रोड, रेल्वे हॉस्पिटल के पास, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. उपायुक्त राजस्व-प्रथम, नगर निगम, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ. 60/उपा. रा (प्रथम)/जननि/2019/18 दिनांक 08.03.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
7. चीफ एयरपोर्ट अधिकारी, जयपुर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Tarunmati
Vaishnava
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.04.08 12:55:18 IST
Reason: Approved



-----SECTOR ROAD 18.0 MT. WIDE-----

SITE PLAN & RAIN WATER HARVESTING PLAN

SCALE 1:200

प्रकरण को जोन स्तरीय समिति बैठक दिनांक 28.02.25
को रखा जाकर आवासीय नू-उपयोग के भवन
मानविय हार्कल एवियर/एन/जोन-3/2025
डी. 1228 दिनांक 03.04.25 को कर
अनुमोदित किये गये हैं।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन)
निमिषम 2020 की धातु 13.11.1 के दिशा निर्देशों
के अनुसार भू-जल संयोजक का प्रस्तावित को
के निर्माण प्रारम्भ करने जिसे अगला जयपुर
जल सार्वजनिक के निम्न निर्माण
कार्यवाही की जायेगी।

₹500 वगी. से बड़े आवासीय/व्यावसायिक/संस्मार्गत
भूखण्डों में मौके पर भवन निर्माकर्ता द्वारा अपरफ्लोवार्ड
prominently display की जानेगी जगह जगहों के
स्वीकृत स्थान पर निर्माण कार्य प्रारम्भ होने पर स्वस्थित
दैनिक समाचार पत्रों में स्वीकृत भूखण्डों का प्राकट्य होने की
रिति से एक सप्ताह में प्रकाशित प्रस्तावित निर्माण होगा।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन)
विनिर्देश 2020 की धारा 14 को दिशा निर्देशों के
अनुसार परामर्शित रूप से निर्धारित व्यक्तियों के
लिए तलाशबीन करना है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से जारी
अवकाश सूचना द्वारा भर्ता निर्धारित को विलुप्त
नियमानुसार कार्यकारी को जवाबदेही।

संसाधन का अनुमोदन किसी भी प्रस्तावित भूमि/भू-
खनिज का प्रस्ताव का नहीं माना जायेगा।
यदि किसी को स्वामित्व अधिकार ही प्राप्त
हो तो उसे मजदूरी का भी संवेदन का दायित्व
भरना पड़ेगा।

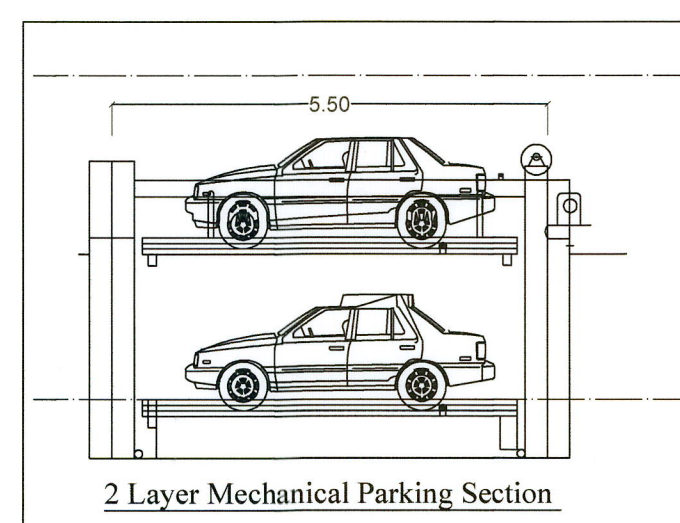
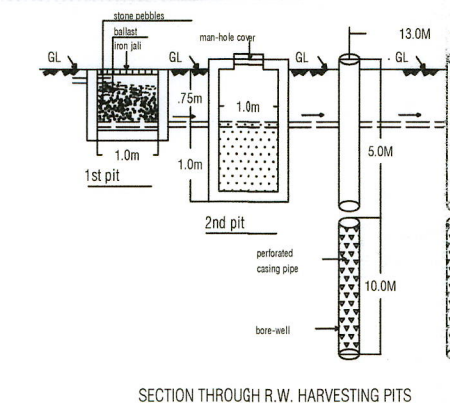
Applicant should get construction checked at plinth level before proceeding to further construction.

STILT FLOOR PLAN

अनुमोदित
पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ।

S.NO	REFERENCE :-			
1.	PLOT AREA AS PER SITE PLAN = 1005.00 SQ.MT. PLOT AREA AS PER SITE CONDITION = 981.91 SQ.MT. ROAD SURRENDERED AREA IN 18.0 MT. = 195.00 Sq.MT.			
2.	STANDARD B.A.R. = $981.91 \times 2.00 = 1,963.82$ SQ.MT. B.A.R. OF SURRENDERED LAND IN ROAD = $195.00 \times 1 = 195.00$ Sq.MT. TOTAL PERMISSIBLE B.A.R. = $1,963.82 + 195.00 = 2,158.82$ Sq.MT.			
3.	PROPOSED B.A.R. = 3518.44 SQ.MT. (3.58) PROPOSED ADDITIONAL B.A.R. = $(3518.44) - (2158.82) = 1359.62$ SQ.MT.			
4.	PERMISSABLE GROUND COVERAGE = WITHIN SETBACK			
5.	PROPOSED GROUND COVERAGE = WITHIN SETBACK			
6.	REQUIRED LANDSCAPE AREA (10 %) = 98.19 SQ.MT.			
7.	PROPOSED LANDSCAPE AREA (10.29%) = 101.07 SQ.MT.			
8.	PERMISSABLE HEIGHT AS PER BYE LAWS = = PLINTH (1.20) + STILT (4.50) + (18.0) = 23.70 M			
9.	PROPOSED HEIGHT = PLINTH (0.75)+STILT (4.20) + 18.00 = 22.95 M			
10.	E.C.U. REQUIRED :- RESIDENCIAL = $3518.44 / 115 = 30.59 + 10\%$ (VISITOR PARKING) E.C.U. = 33.64 CAR = 26 , SCOOTER = 23			
11.	E.C.U. PROPOSED :- CAR = 33, SCOOTER = 20 (39.66 E.C.U.)		CAR	SCOOTERS
		Surface	Mechanical	
		STILT	6	6 13
		OPEN	21	- 7
		TOTAL	33	20
12.	ELECTRIC VEHICLE POINT REQUIRED = 04 ELECTRIC VEHICLE POINT PROPOSED = 04			
13.	NUMBER OF FLATS/ UNITS =30			
14.	FACILITIES AREA REQUIRED ON STILT FLOOR:- REQUIRED MINIMUM 2% OF TOTAL PROPOSED B.A.R. OR 50.0 SQ.MT. (WHICH EVER IS LESS)			
15.	PROPOSED FACILITIES ON STILT = 50.17 SQ.MT.			

AREA CALCULATION (AREA IN SQ. MTR.)							
S.NO.	FLOOR	BLOCK AREA	SHAFT	GROSS BUILD UP	ARCHITECTURAL ELEMENT	LIFT WELL	B.A.R.
1	STILT FLOOR	-	-	616.80	-	4.00	53.68
	GUARD ROOM, UG WATER TANK DG./TRANSFORMER.	-	-	17.35	-	-	-
2	1st FLOOR	616.80	4.31	612.49	31.03	4.00	577.46
3	2nd FLOOR	616.80	4.31	612.49	31.03	4.00	577.46
4	3rd FLOOR	616.80	4.31	612.49	31.03	4.00	577.46
5	4th FLOOR	616.80	4.31	612.49	31.03	4.00	577.46
6	5th FLOOR	616.80	4.31	612.49	31.03	4.00	577.46
7	6th FLOOR	616.80	4.31	612.49	31.03	4.00	577.46
8	STAIR CASE MUMTY ARCHITECTURAL ELEMENT	-	-	236.49	-	-	-
9	TOTAL	-	-	4545.58	-	-	3518.44

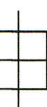
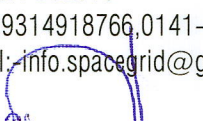


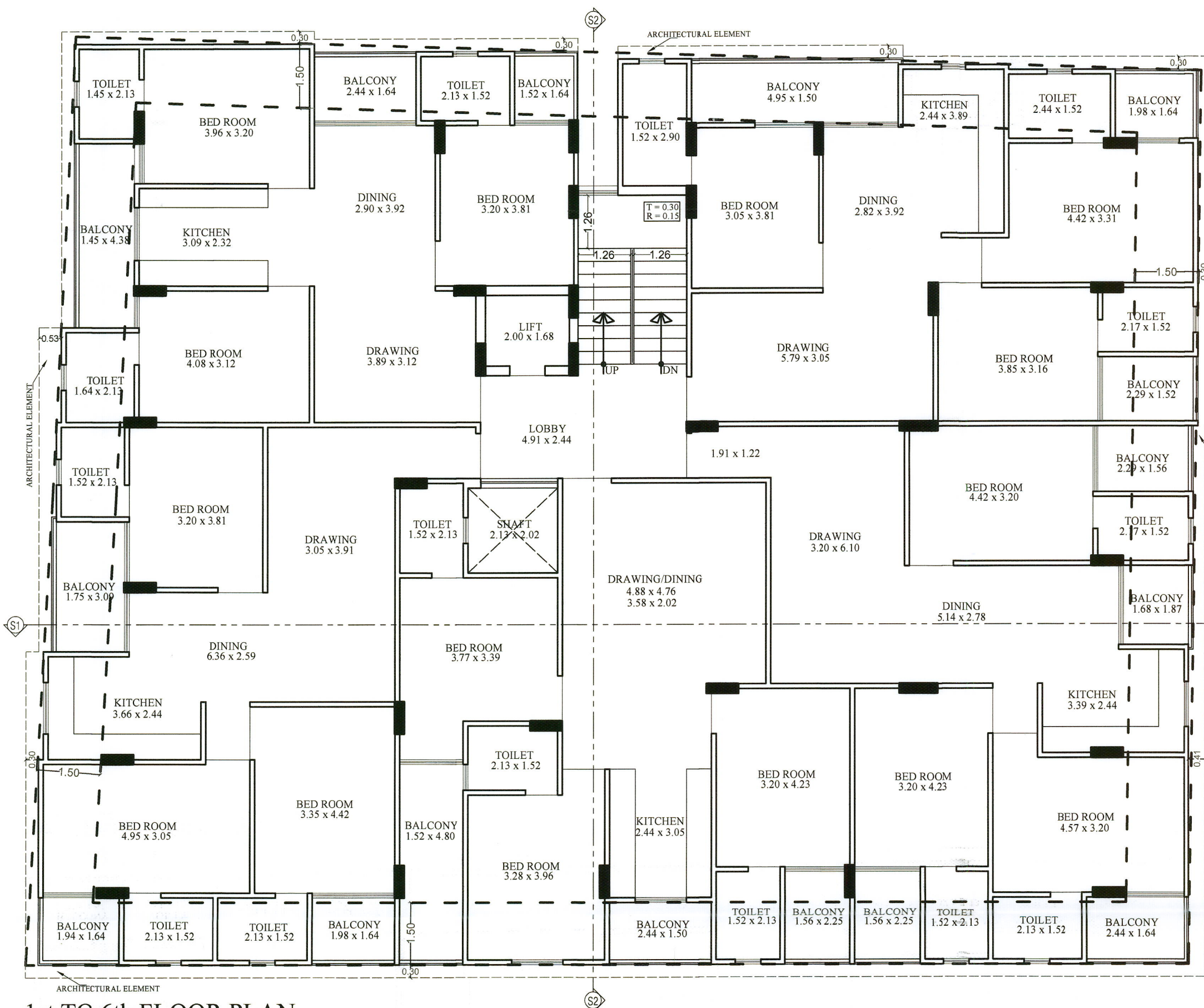
सहायक नगर नियोजक
जोन-9
नयपूर विकास प्राधिकरण, जयपूर

उपायुक्त जौन-9
जविप्रा. षयपर

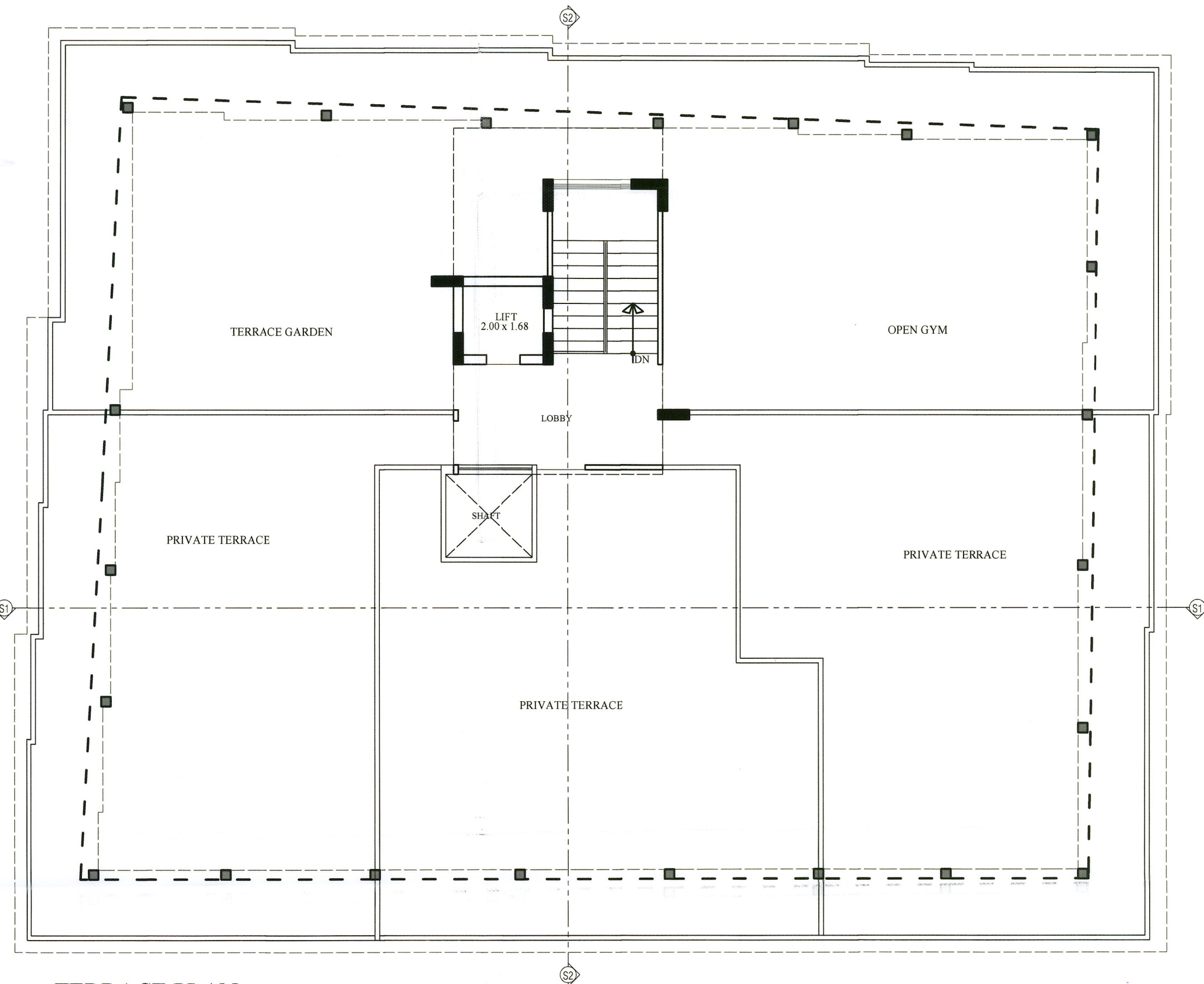
SANTUSHTI HOUSING LLP

Partner

	<u>OWNER</u>
SCALE = 1:100	
PROJECT :- PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHASRA NO.- 130/1, AT VILLAGE-RAMNAGRIYA, TEH. SANGANER , JAIPUR	
ARCHITECT :-  SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (0) Email:-info.spacegrid@gmail.com  SHRI KRISHAN Architect CA/99/25451	



1st TO 6th FLOOR PLAN



TERRACE PLAN

अनुमोदित
पैड लगाओ-हरियाली बंढाओ।

प्रकरण को जोन स्तरीय समिति बैठक दिनांक.....
 प्रकीर्ण जाकर..... शु-उपयोग के भवन
 भागीदार प्रकाश जमिनी/उपा/जोन-9/2028/
 डी..... दिनांक..... को जारी कर
 अनुमोदित किये गये हैं।

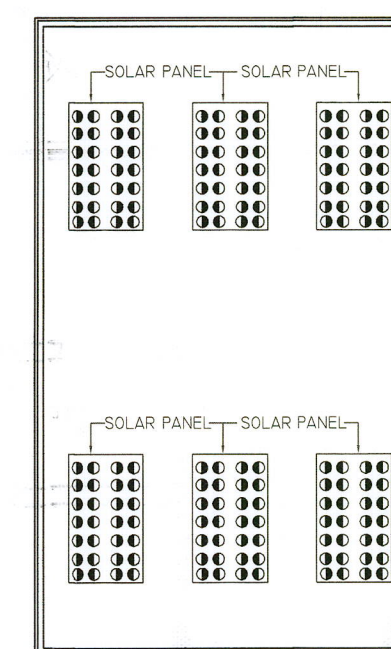
शिक्षा विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन)
2020 को धारा 10.11.1 के दिशा निर्देशों
के तहत जल संचयन का प्रस्तावित का
प्रारंभ प्रायधान रखे जाये अतथा जविप्रा
के तहत निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार
कार्रवाही की जायेगी।

‘जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन)
विनियम 2020 की धारा 14 के दिशा निर्देशों के
अनुसार वार्षिक रूप से विनियोग व्यक्तियों के
लिए प्रस्तावित मान्यता प्रदान रखे जावे
अथवा जयपुर द्वारा जयपुर निर्माता के विरुद्ध
नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

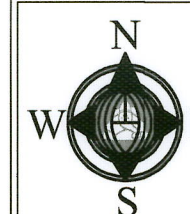
500 वर्षी से बोहे आवासीय/व्यावसायिक/संस्थागत भूखण्डों में मौके पर भवन निर्माणकार्यों द्वारा अवलोकनमय **prominently display** की जायेगी उक्त प्रकल्पों के स्वीकृत भवन मानचित्र बचन निर्माणकार्यों द्वारा स्थानीय दैनिक संचारकर्ता पत्रों में प्रेषित जाकर प्रसारित होने की तिथि से एक सप्ताह में प्रकाशित करवाना अनिवार्य होगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी प्रसंगगत भूमि/भूखण्ड के प्रति सहायक का प्रस्ताव पत्र नहीं माना जायेगा और न ही दूसरे किसी के स्वतंत्रता अधिकार की प्रभावित होगी यदि किन्हीं गैरे सरकारी विनियमों का उल्लंघन प्रार्थी का होता है।

Applicant should get construction checked at plinth level before proceeding to further construction.



MUMTY PLAN



OWNER

SCALE = 1:100

PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
KHASRA NO.- 132/1, AT
VILLAGE-RAMNAGRIYA, TEH.
SANGANER , JAIPUR

ARCHITECT :-

 **SPACE GRID**
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHRI KRISHAN
Architect
CA/99/25451

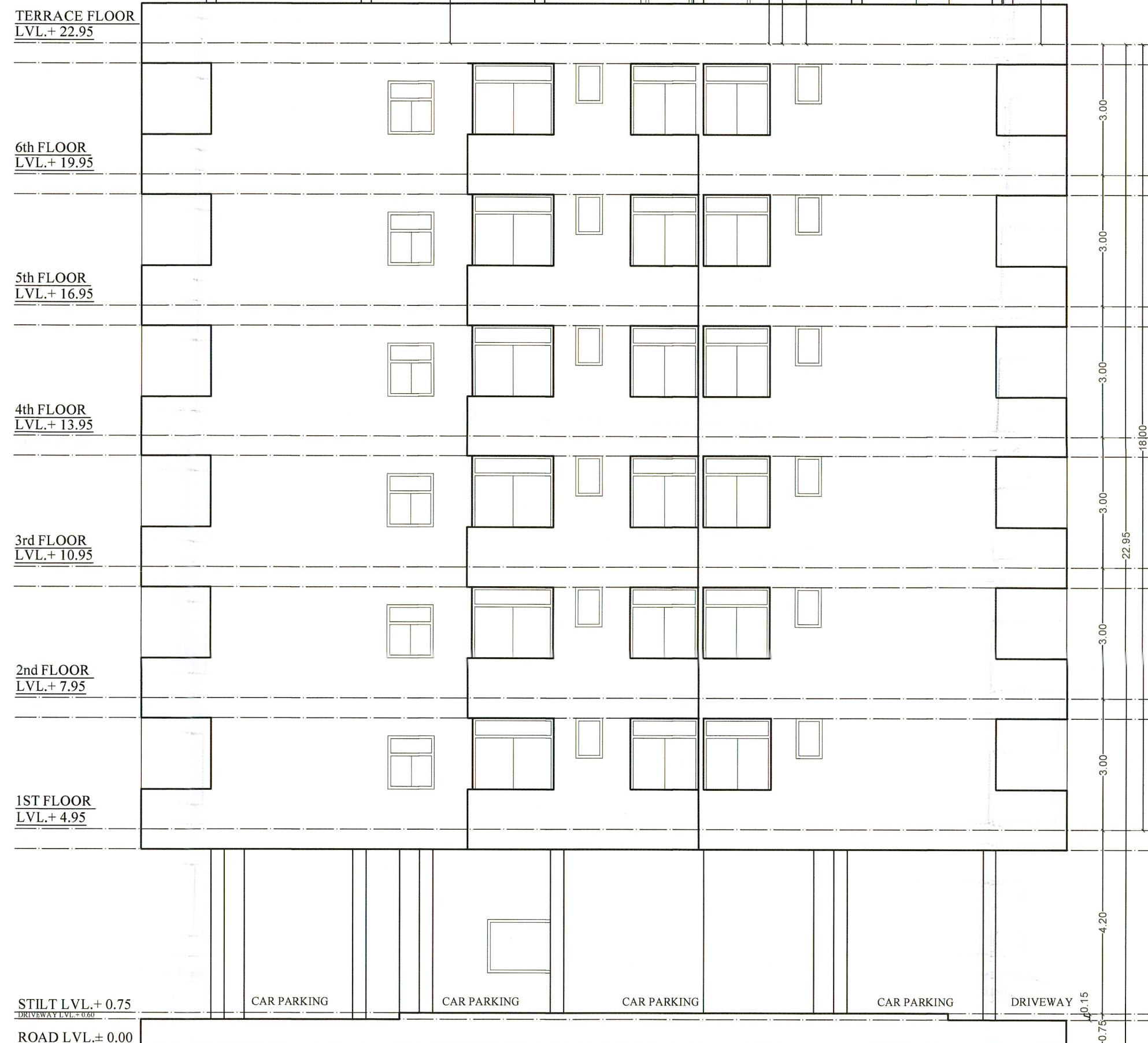
सहायक नगर नियोजक
जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

હાપાયુક્ત જોન-9
જવિપ્રા, જયપુર

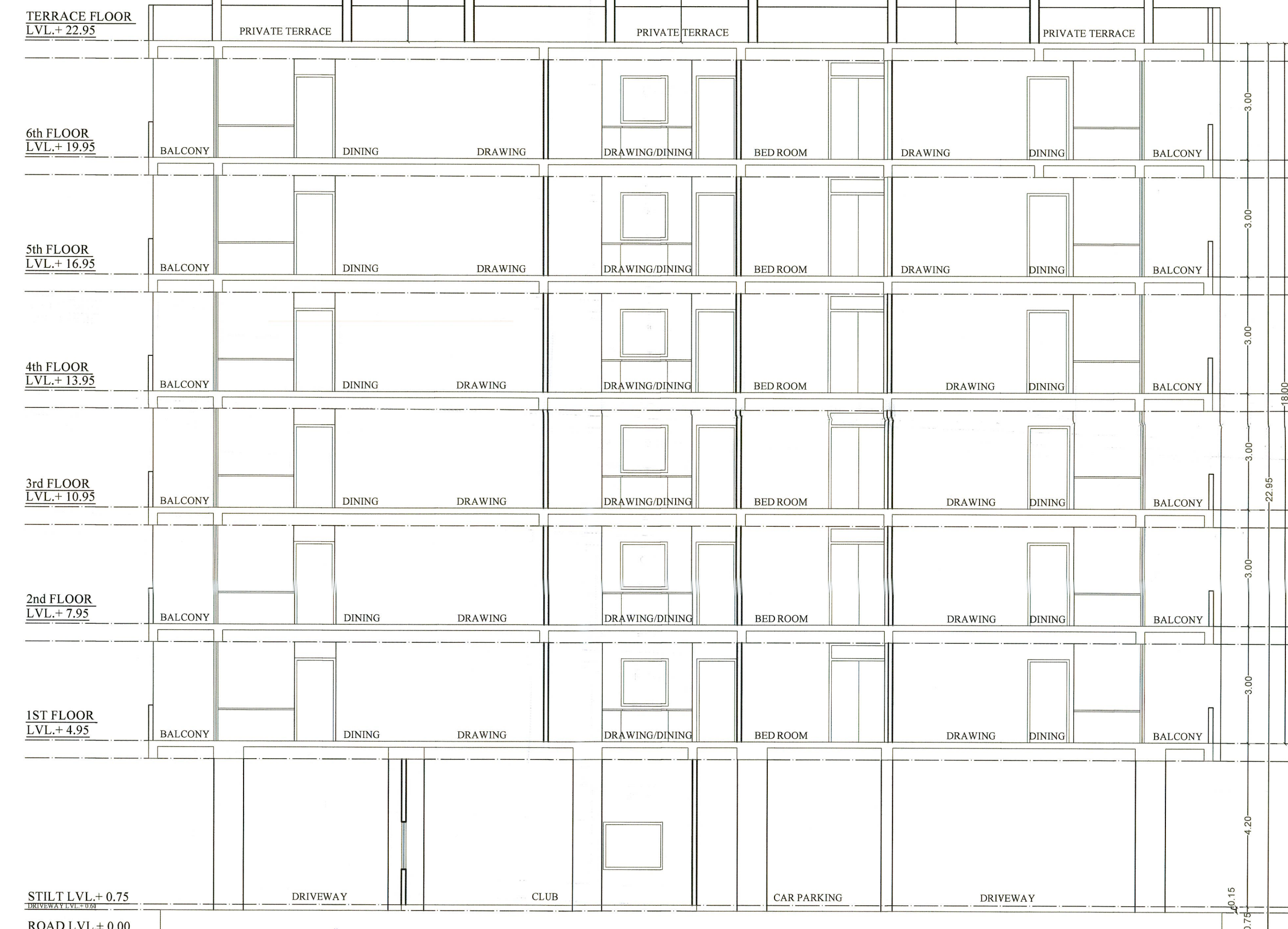
SANTUSHTI HOUSING LLP
[Signature]
Partner



SOUTH SIDE ELEVATION



EAST SIDE ELEVATION



SECTION S1-S1

अनुमोदित
पेड लगाने-जरियाली बढाई

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन)
विनिर्माण धारा की धारा 11 के दिशा निर्देशों के
अनुसार वार्षिक रूप से थिंकिंग प्रक्रियाओं के
लिए प्रस्तावित धन में निवेश प्रदान रखे जावे
अथवा खर्चा द्वारा भवन निर्माण के विरुद्ध
नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण को जोन स्तरीय समिति बैठक दिनांक.....
को १५१ वाक्य..... भू-उपयोग के भवन
नाम..... धाराक सविता/२४/जोन-३/२०१७
डी..... दिनांक..... को जारी क
अनुमोदित किये गये है।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन मबन) विधिवत 2020 की धारा 10.11.1 के दिशा निर्देशों के अनुसार भू-जल संयंत्र का प्रस्ताविका रूप में विधिवत प्राप्ति एवं लंबे समय में विकास द्वारा मबन निर्माता के विरुद्ध निवेदन द्वारा कार्य को जारी रखेगी।

[illegible]

Applicant should get construction checked at plinth level before starting full ground preparation

इस मानद्वि का अनुमोदन किसी भी प्रश्नगत भूमि/मूल्य
 ३३ स्वामित्व का प्रमाण यह नहीं माना जायेगा
 ३४ स्वामित्व के स्वामित्व संबंधी रजिस्टर ही प्रमाणित
 ३५ स्वामित्व का दस्तावेज

सहायक नगर नियोजक
जोन-९
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

SANTUSHTI HOUSING

Partne

OWNER

SCALE = 1:100

PROJECT :-

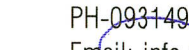
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
KHASRA NO. - 138/1, AT
VILLAGE-RAMNAGRIYA, TEH.
SANGANER, JAIPUR

ARCHITECT :-

 **SPACE GRID**

C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015

PH-0931401766,0141-4005506 (0)
Email:-info.spacegrid@gmail.com



SHRI KRISHNAN
Architect
CA/99/25451



हमारे देश का अनुमोदन किसी भी प्रस्तावित भूमि/भूखण्ड
कानून का प्रस्ताव नहीं माना जायेगा और
इसके किसी भी नकारात्मक संकेत के बिना ही प्रस्तावित
क्षेत्रों को खोले गये प्रत्येक निर्माण को संरक्षण का दायित्व
प्रधानों को होगा।

प्रकरण को जोन स्तरीय समिति बैठक दिनांक.....
को रखा जाकर..... भू-उपयोग के भवन
मानचित्र पत्रांतर एप्लिकेशन/रज/जोन-9/2024✓
की दिनांक..... को जारी कर
दिया गया है।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विकिस्रोत पर 14 की भाषा 14 के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रारम्भिक रूप से विकिस्रोत व्यक्तियों के लिए प्रारम्भिक रूप से निम्नलिखित प्रावधान रखे जाये अन्तर्गत विषयों द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

3000 वर्षों के बड़े आवासीय/व्यावसायिक/संस्कारात्मक भूगोल में मौजूद पर मानव विनिर्माण द्वारा अत्यधिक प्रामाणिक (prominent) विनिर्माण की प्रतीति उदा. इजिप्ट के स्फिंक्स प्रायः सार्वजनिक क्षेत्रों/समाजों द्वारा स्थापित होते हैं। यहाँ पर प्रतीति/प्रतीक मान्य होने की स्थिति पर एक संज्ञा में इजिप्टीयन संस्कृति अभिव्यक्त होगी।

संसाधन विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) में 1981-82 की राशि 10.11.82 के मिला निर्देश के अनुसार अनुदान राशि का प्रत्यागति के भवन में प्रथम प्रवेशन रुये जाने लक्ष्यता जमिन द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध मित्रभाषा कार्य के की जायेगी।

SANTUSHTI HOUSING LL
Partne

	OWNER
SCALE = 1 : 100	

PROJECT :-

PRESIDENTIAL RESIDENTIAL BUILDING AT
KHASRA NO.- 134/J-1, AT
VILLAGE-RAMNAGRIYA, TEH.
SANGANER , JAIPUR

ARCHITECT :-



SPACE GRID

C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG,
BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015

PH-09314918766,0141-4005506 (O)
Email-Info.spacegrid@gmail.com


SHRI KRISHAN
Architect
CA/99/25451